

प्रेषक

सचिवदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय श्री धन्वन्तरी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, बक्सर।

पटना, दिनांक -

विषय :- शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-101 आयुर्वेद-0003 आयुर्वेदिक कॉलेज, बक्सर, विपत्र कोड-20-2210051010003 मांग संख्या-20 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल-5,89,85,000/- (पाँच करोड़ नवासी लाख पचासी हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उप शीर्ष अंतर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए कुल 5,89,85,000/- (पाँच करोड़ नवासी लाख पचासी हजार) रुपये मात्र के आवंटनकी स्वीकृति प्रदान की जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. संबंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० -2561/वि०(2) दिनांक -17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या - 354/वि० दिनांक 28.03.2018 एवं वित्त विभागीय पत्रांक 3244/वि० दिनांक-04.05.2018 में निहित निदेशों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान- 101 आयुर्वेद-0003 आयुर्वेदिक कॉलेज, बक्सर विपत्र कोड-20-2210051010003 मांग संख्या-20 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-257 /वि० दिनांक-26.02.2019 द्वारा तृतीय अनुपूरक आगणन के बजट उपबंध से की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय श्री धन्वन्तरी आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, बक्सर तथा नियंत्री पदाधिकारी, प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय, बिहार, पटना /विशेष सचिव, स्वास्थ्य होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. इस आवंटनादेश से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में देय बकाया का विधिवत जाँच कर सर्वप्रथम बकाया वेतनादि भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

7. आवंटित राशि से दवा एवं अन्य सामग्री का क्रय संबंधित कार्य देशी चिकित्सा निदेशालय के पत्रांक 156 (दे०चि०) दिनांक - 12.2.99 एवं 801 (दे०चि०) दिनांक 28.11.2002 एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायेगा।

8. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन उनका सदुपयोग करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे।

10. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह फरवरी 2019 तक के लिए नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित के पश्चात ही बकाया वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

11. वित्तीय वर्ष 2018-19 का अद्यतन व्यय विवरणी के साथ पूरे वित्तीय वर्ष का व्यय आकलित कर मांग पत्र भेजी जाय, तथा प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक नियमित रूप से व्यय विवरणी भी भेजी जाय।

12. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

13. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

01/03/2019

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक - 01.03.2019

ज्ञाप सं०-

39 'ब' (आ.चि.)

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/जिला कोषागार पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वा० के निजी सहायक/ प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय/ आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

01/03/2019

सरकार के विशेष सचिव


01/03/2019

0003 आयुर्वेदिक कॉलेज, बक्सर वित्तीय वर्ष 2018-19

विवरण तीतीय (अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि)

क्रम सं.	प्राथमिक इकाईयां	कोड	उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
1.	2	3	4	5	6	7	8
1	वेतन	01-01	61857000	22131000	39726000	61857000	0
2	जीवन यापन भत्ता	01-03	19531000	2214000	17317000	19531000	0
3	मकान किराया भत्ता	01-04	3640000	1771000	1869000	3640000	0
5	चिकित्सा भत्ता	01-06	331000	264000	67000	331000	0
6	अन्य भत्ता	01-07	19000	13000	6000	19000	0
	योग (वेतन एवं भत्ता)		85378000	26393000	58985000	85378000	0
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	06-01	30000	30000		30000	0
8	यात्रा व्यय	11-01	10000	10000		10000	0
9	कार्यालय व्यय	13-01	300000	300000		300000	0
10	दूरभाष	13-03	0	0		0	0
11	विद्युत प्रभार	13-04	300000	300000		300000	0
12	विधि प्रभार	13-05	0	0		0	0
13	वर्दी पोशाक	13-06	40000	40000		40000	0
14	किराया म0 एवं कर	14-01	0	0		0	0
15	प्रशिक्षण व्यय	20-03	0	0		0	0
16	सामग्री एवं पूर्तियां	21-01	300000	300000		300000	0
17	दवा भंडार	21-02	3500000	3500000		3500000	0
18	संविदा सेवार्ये	28 02	50000	50000		50000	0
19	छात्रवृत्ति / वजीफा	34-01	0	0		0	0
20	मशीन एवं उपस्कर	52-01	200000	200000		200000	0
	योग		१0108000	31123000	58985000	90108000	0

(पाँच करोड़ नवासी लाख पचासी हजार) रुपये मात्र



सरकार के विशेष सचिव



39 'ब' (आ. वि.)

01.03.2019